न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
06/21	एफएसएस एक्ट, 2006	15/03/2021

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर —आवेदक

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता उम्र लगभग 55 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक)–फर्म–पिन्टूकुमार मोहित कुमार, पुरानी अनाजमण्डी गंगापुर सिटी निवासी कैलादेवी कॉलोनी सालोदा मोड़ गंगापुर सिटी । —अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 21.08.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 15.03.2020 को लगभग 02:00 पी.एम. पर दौराने गश्त फर्म– पिन्टूकुमार मोहित कुमार ,पुरानी अनाजमण्डी गंगापुर सिटी पर श्री ग्यानचन्द्र जैमन ,तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री रामजीलाल गुप्ता बताया तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। श्यामलाल गुप्ता अपनी फर्म पर घी,तेल, चिनी, बेसन व अन्य खाद्य सामग्री आमजन को विक्रय करता है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय फर्म के विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य वस्तु रिफाईन्ड सोयाबीन तेल **(Unipure Brand)** 15 लीटर पैक के 16 टीन का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट व मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मोजूद विक्रेता व फर्म मालिक से उक्त खाद्य वस्तु रिफाईन्ड सोयाबीन तेल **(Unipure Brand)** 15 लीटर पैक के टीन में से शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये।

आवेदक द्वारा खाद्य वस्तु रिफाईन्ड सोयाबीन तेल **(Unipure Brand)** 15 लीटर पैक के एक पैक टीन को साईड से खुलवाकर उसमें से 2 लीटर रिफाईन्ड सोयाबीन तेल **(Unipure Brand)** शुद्धता एवं टीन के लेबल की जांच की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 220/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शीशी एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफें में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द शीशी व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा गजानन्द लोधा वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 17.03.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दो सील बंद शीशी भाग मय फार्म सं0 6 की दो

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2020/609 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/651/एक्ट/2020/722 दिनांक 15.04.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु रिफाईन्ड सोयाबीन तेल **(Unipure Brand)** का नमूना अवमानक स्तर प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।फर्म मालिक द्वारा उक्त नमूने के संबंध में बार–बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वांरटी उपलब्ध नहीं करायी गई जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27 (2)(d) का उल्लधंन है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित । अभियुक्त को बार–बार जबाब/बहस हेतु समय दिये जाने पर भी अभियुक्त द्वारा कोई जबाब/बहस नहीं करने पर अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभियुक्तगण पर धारा 58 व 51 के तहत अधिक–अधिक जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/651/एक्ट/2020/722 दिनांक 15.04.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन तेल **(Unipure Brand)** अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का एवं फर्म मालिक द्वारा उक्त नमूने के संबंध में बार–बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वांरटी उपलब्ध करवाने के कारण एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27 (2)(d) का उल्लधंन का दोषी पाया गया है। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को उक्त दोनों धाराओं में संयुक्त रूप से 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...21.08.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी